हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 118

बुधवार, 02 सितम्बर, 2026/11 भाद्रपद, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित प्रश्न :**

तारांकित प्रश्न संख्या: 4192 व 4286 (स्थगित) और तारांकित प्रश्न सं0 4674, 4675, 4677, 4678 तथा 4679 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न सं0 4676 पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4680 से 4731 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित प्रश्न :**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1870 से 1909 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने पुलिस कॉंस्टेबल (पुरुष एवं महिला) के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सदन के माध्यम से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तार से वक्तव्य दिया ताकि इस विषय में किसी प्रकार की भ्रांति अथवा गलत धारणा

न बने। उन्होंने यह बताया कि प्रदेश के होम गार्ड्स के हितों और उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें भी एकमुश्त पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की है। इसके साथ ही आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पुन: 15 दिन बढ़ाकर 5 सितम्बर, 2026 कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन पोर्टल भी पूरी तरह से सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।

माननीय सदस्य श्री इंद्र दत्त लखनपाल ने अभ्यार्थियों द्वारा किए गए आग्रह को मद्देनजर रखते हुए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पाँच दिन और बढ़ाने का आग्रह किया।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि बहुत लोगों ने पहले ही आवेदन कर लिया है। बार-बार आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पोर्टल पर बढ़ाना उचित नहीं है। आज के दिन को मिला कर अभी भी चार दिन और शेष हैं। उत्सुक आवेदकों को कहा जाए कि वे जल्दी-से-जल्दी आवेदन करें।

2. शून्यकाल:

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने अवगत करवाया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2025 में अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के काडर की बायफर्केशन की है। एक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा चिकित्सा शिक्षा, इस तरह से दो कैटेगरी में अपने काडर को बायफर्केट किया है। जब यह बायफर्केशन की प्रक्रिया की गई और कर्मचारियों से ऑप्शंस मांगे गए, तब तक काडर बायफर्केशन की विस्तृत एस0ओ0पी0 जारी नहीं हुई थी। कोई स्पष्टता नहीं थी कि काडर बायफर्केशन के क्या-क्या आफ्टर इफेक्ट्स कर्मचारियों पर हो सकते हैं, उनकी सीनियोरिटी पर क्या फर्क पड़ेगा और प्रॅमोशन पर क्या फर्क पड़ेगा। फिर भी कर्मचारियों ने बायफर्केशन के लिए अपनी-अपनी ऑप्शन दे दी। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए जो काडर बायफर्केशन किया गया है, उसमें उन्हें दी गई ऑप्शन को रिव्यू करने का एक मौका और दिया जाए।

Hon'ble Health & Family Welfare Minister said that the point raised by the Hon'ble Member would receive due attention, but it requires a detailed reply which I have. My submission is that I can

either send him a written reply, as it contains several pages, or, if he wants the details, they can be provided separately. This is normally the practice during Zero Hour, and is followed in Parliament as well. In any case, the point that he has raised is very much under our consideration, particularly the issue of providing them with an option.

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Hon'ble Health & Family Welfare Minister, please send the reply to the Hon'ble Member and place it on the table of the august House also."

माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती ने अवगत करवाया कि रामपुर गांव ऊना से डेढ़-दो किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है, उसका पुल तीन साल पहले टूट गया था जब बहुत ज्यादा बारिशें हुई थीं। पुल के जो स्पैन बैठ गए थे, जिसके कारण पुल को बंद करना पड़ा और उसके बाद वहां पर बैली ब्रिज लगाया गया। बाद में उस बैली ब्रिज को भी बंद कर दिया गया। तत्पश्चात् उन्होंने लोगों को आ रही परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए क्षतिग्रस्त ऊना ब्रिज का पुनर्निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करने का अनुरोध किया।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि विभाग रामपुर ब्रिज (ऊना) के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रहा है। जब यह ब्रिज बह गया था तो वे उस समय वहां व्यक्तिगत रूप से गए थे तथा वहां पर फौरी तौर पर बेली ब्रिज इंस्टॉल करवा दिया गया था। विभाग उसका स्थाई समाधान करने हेतु प्रयासरत है। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसकी पहली किस्त 5.30 करोड़ रुपये की लोक निर्माण विभाग के डिवीजन, ऊना को सैंक्शन कर दी है। इसका कार्य शुरू हो जाएगा और इस पर भविष्य में जो अतिरिक्त खर्च आएगा उसको भी पूरा कर दिया जाएगा तथा जल्दी-से-जल्दी ऊना का वह रेगुलर ब्रिज बना दिया जाएगा।

माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सुलह में अधिकतर बस रूट्स जोकि वर्षों से चले थे चाहे वे पालमपुर डिपो के अंतर्गत थे या फिर बैजनाथ, नगरोटा, धर्मशाला डिपो के अंतर्गत थे; उन तमाम बस

रूट्स का मामला मान्य सदन में उठाया तथा जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय को मद्देनजर रखते हुए बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा और धर्मशाला डिपोज में नई बसों का फ्लीट बढ़ाने का आग्रह किया ताकि गामीण क्षेत्रों में नई बसें भेजी जा सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने आग्रह किया कि सुलह विधान सभा क्षेत्र के अलग-अलग क्षेत्रों में जो भी बस रूट प्रभावित हुए हैं उन्हें तत्काल शुरू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बस की सुविधा उपलब्ध हो सके।

इस पर माननीय उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) ने कहा कि माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने अपना विषय विस्तार से रखा है। We have noted it. Suitable reply will be given to the Hon'ble Member.

माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा ने अवगत करवाया कि जमली खड्ड तथा गसौती खड्ड के ऊपर बनाए जा रहे ब्रिजिज का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह है कि विभाग को निर्देश दिए जाएं कि इनके निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वे आज ही इस विषय में चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमीरपुर से बात करेंगे ताकि इन्हें जल्दी-से-जल्दी पूरा करवाया जा सके।

श्री केवल सिंह पठानिया, माननीय उप मुख्य सचेतक ने बरनेट घेरा-करेरी रोड और सुधेड़-आंखनकोला रोड की दयनीय स्थिति बारे विषय मान्य सदन में उठाया और मंत्री महोदय से इनकी दशा सुधारने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि एन0एच0ए0आई0 से इस मामले को टेकअप किया जाए क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से जिला कांगड़ा में मैकलोडगंज टूरिस्ट्स डेस्टिनेशन है। दलाई लामा जी के द्वारा आज वहां पांच फ्लाइटें अवेलेबल हुई हैं और इसके लिए दलाई लामा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इन रोड्स पर विशेष ध्यान दिया जाए।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में मैकलोडगंज से जोड़ने के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। We will explore all the possibilities for better regional connectivity in these areas और इसमें विभाग की ओर से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी ताकि भविष्य में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके। टूरिज्म की दृष्टि से यह

सम्पूर्ण क्षेत्र अत्यन्त खूबसूरत है। कई स्थानों पर सड़कें पहले से निर्मित हैं जो डलहौजी को आगे कनैक्ट करती हैं किन्तु कुछ स्थानों पर इसे समग्र रूप से जोड़ने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए इस पॉसिबिलिटी को भी निश्चित तौर से एक्सप्लोर किया जाएगा और आने वाले समय में इसको गति देने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप ने अवगत करवाया कि पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अनेक विद्यालय हैं जहां पर्याप्त अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है। पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में 12 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं है। नारग ब्लॉक में 6 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है जबकि विद्यार्थियों की संख्या अच्छी-खासी है। इसी प्रकार सराहां ब्लॉक में 5 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। राजगढ़ ब्लॉक में भी एक विद्यालय ऐसा है जहां अध्यापक उपलब्ध नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन विद्यालयों में शीघ्रातिशीघ्र कम-से-कम एक अध्यापक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल और प्रवक्ता के रिक्त पदों की ओर भी मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा इन रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने का आग्रह किया।

माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिरमौर, सिरमौर ही रहेगा और यह हिमाचल निर्माता का गृह जिला है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक छात्र-शिक्षक अनुपात हिमाचल प्रदेश का है यानी कि यहां एक अध्यापक पर लगभग 10 विद्यार्थी हैं। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि दुर्गम क्षेत्रों चाहे वह चंबा जिला हो, शिमला जिला हो या सिरमौर जिला, वहां स्टाफ की कमी बनी हुई है। विभाग का प्रयास रहता है कि युक्तीकरण के माध्यम से भी विशेषकर जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हैं वहां के स्टाफ को भरा जाए। विभाग की प्राथमिकता रहेगी कि जो विदाउट टीचर्स स्कूल हैं पहले वहां टीचर जाएं और उसके उपरांत यह प्राथमिकता रहेगी कि जहां एनरोलमैंट 15 से ऊपर है वहां दूसरा टीचर उपलब्ध हो। जहां तक प्रिंसिपल के रिक्त पदों का संबंध है वर्तमान में लगभग 384 ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहां पद रिक्त हैं। प्रमोशन के माध्यम से भी इन पदों को भरा जाएगा।

3. **कागज़ात सभा पटल पर:**

(1) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 110 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एस.जे.ई.-ए-ए(4)-2/2016-लूज, दिनांक द्वारा 21.04.2026 को अधिसूचित तथा दिनांक 04.05.2026 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम का 31वाँ एवं 32वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. **सदन की समिति के प्रतिवेदन:**

श्री संजय रत्न, सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति, (वर्ष 2026-27) ने स्थानीय निधि लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग** द्वारा ग्राम पंचायत नाया पंजोड़,

विकास खण्ड शिलाई, सिरमौर अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं पर तैयार विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा पर बने **प्रथम मूल प्रतिवेदन,** चौदहवीं विधान सभा (वर्ष 2024-25) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **5वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि राजकीय महाविद्यालय ठियोग, जिला शिमला में **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना** के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा निर्मित छात्रावास भवन के निर्माण की संवीक्षा पर आधारित तथा **आवास विभाग** से सम्बन्धित है।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री पवन कुमार काजल, मा0 सदस्य** ने नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क व पुल निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब एवं क्षेत्रीय असंतुलन बारे मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

<u>Ruling by the Hon'ble Speaker</u>

"Before that, since the Hon'ble Member seeks a clarification, let me clarify. Rule-62 gives a Member an opportunity to raise an issue pertaining to his constituency if it is of utmost importance. This issue pertains to his constituency and is of utmost importance to him. Therefore, the Vidhan Sabha Secretariat has given permission to him to raise this issue, as Rule-62 provides for the same. There is no question of regionalism or anything of that sort. He is raising an issue pertaining to his Kangra constituency, and not the Kangra district. He is trying to compare it with the other constituencies. Therefore, he has a right to explain all these things, and it is for the Government to respond to all his queries. Now, I will request Shri Pawan Kumar Kajal to seek his clarification, whatever he feels is necessary."

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्टीकरण का चर्चा का उत्तर दिया।

(12.57 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.10 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

(2) **श्री चन्द्र शेखर, मा0 सदस्य** ने सरकाघाट और धर्मपुर में बसों की कमी से हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

6. **विधायी कार्य:**

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पुर:स्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने उक्त संशोधन विधेयक पर अपने विचार रखते हुए इसका पुरज़ोर विरोध किया और इसे वापिस लेने का आग्रह किया।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने उक्त संशोधन विधेयक का समर्थन किया और कमिशन, बोर्ड और यूनिवर्सिटी इत्यादि में भर्तियों में मैरिट को ऑनर करने पर तरजीह दी ताकि डिजर्विंग अभ्यर्थी चयनित हो सकें, यही देश व प्रदेश हित में है।

उक्त संशोधन विधेयक पर **माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार** ने अपने विचार रखते हुए इसका विरोध करते हुए इसे वापिस लेने का आग्रह किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

माननीय राजस्व मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए उक्त संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन किया और इसे प्रदेश हित में बताया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने उक्त संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी को पंगु मत बनाइए। उस संस्थान को स्वायत्त रहने दीजिए। न्यायालय में स्ट्रक डाउन होने से पहले ही उचित रहेगा कि इस संशोधन विधेयक को वापिस ले लिया जाए।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"It is the constitutional power vested with the High Court & the State Legislature. So we are similar. Hon'ble High Court can scrutinize it. But there is nothing as such if it is struck down by the Hon'ble High court then it is against the State Legislature

Assembly. That is the prerogative of the Hon'ble High Court. We have constitutional prerogatives and we are exercising those prerogatives. Assembly has right to frame the Bills."

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार ने उक्त संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए इसे पास करने का आग्रह किया क्योंकि सरकार की मंशा है कि यूनिवर्सिटी में मैरिट के आधार पर अभ्यार्थी आएं और मैरिट के साथ कोई समझौता न हो। यही मंशा Gen-Z की है।

माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल ने उक्त संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापिस लेने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए और चाहा कि इस संशोधन विधेयक को वापिस लिया जाए।

(3.49 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न माननीय सभापति पदासीन हुए।)

(3.51 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा ने उक्त संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए इसे पास करने का आग्रह किया और कहा कि यह संशोधन विधेयक समय की मांग है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले कि मुख्य मंत्री जी सारी चर्चा का उत्तर दें वे मान्य सदन को अवगत करवाना चाहते हैं कि चौदहवीं विधान सभा में 99 बिल पास किए गए हैं और 99 में से 90 पर असैंट मिल गई है और केवल 9 ऐसे बिल्स हैं जिन पर अभी तक Presidential or Governor assent नहीं मिली है और एक-आध ऐसा बिल है जिसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। This is one exception.

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने माननीय मुख्य मंत्री को उत्तर के दौरान सिर्फ बिल के सम्बन्ध में फोकस करने का आग्रह किया तथा यह भी कहा कि

11 दिसम्बर को माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली और 22 तारीख को पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 22 दिसम्बर को पेपर लीक हुआ और जैसे ही इसके बारे में सूचना मिली तो तुरंत इंक्वायरी बिठाई गई और जो पेपर बच गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया तथा मामले में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई गई।

तत्पश्चात् **माननीय मुख्य मंत्री** ने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक उत्तर दिया तथा संशोधन विधेयक को यू0जी0सी0 गाइडलाइन्ज के मुताबिक बताते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए ही बिल लाया गया है, अत: इस बिल को पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड-2 से 21 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) पारित हुआ।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने उक्त संशोधन विधेयक के संदर्भ में कहा कि जब किसी फैसले को सोच-समझकर नहीं करते हैं तो बाद में गलत फैसले पर विचार करना पड़ता है और मजबूरी में उसको वापस लेना पड़ता है या उसमें बदलाव करना पड़ता है। जब यह बिल इस सदन में लाया गया था, जिसे आज सरकार ने वर्ष 2026 का विधेयक संख्यांक-13 के रूप में लाया है, उस वक्त भी विपक्ष ने कहा था कि जो इंक्रीज हो रही है वह अत्यधिक हो रही है और इस पर विचार करना चाहिए तथा इसे थोड़ा कम करना चाहिए लेकिन विपक्ष की बात नहीं मानी गई। आज सरकार उसी बिल को फिर से लेकर आई है।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड-2 व 3 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) पारित हुआ।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड-2 से 4 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) पारित हुआ।

(4.56 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक 6.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

7. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:**

(1) **दिनांक 31.08.2026 को माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी :-**

"युवाओं के लिए रोज़गार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री बिक्रम सिंह, मा0 सदस्य

(05.02 अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए)

2. श्री हरदीप सिंह बावा, मा0 सदस्य

(5.30 बजे अपराह्न श्री आशीष बुटेल, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

3. श्री आशीष शर्मा, मा0 सदस्य

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिया।

4. श्री मलेन्द्र राजन, मा0 सदस्य
5. श्री रणवीर सिंह (निक्का), मा0 सदस्य
6. श्री सुदर्शन सिंह बबलू, मा0 सदस्य

(6.22 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए)

(6.30 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक 7.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

7. श्री विनोद कुमार, मा0 सदस्य
8. श्री विवेक शर्मा (विक्कू), मा0 सदस्य
9. श्री त्रिलोक जम्वाल, मा0 सदस्य
10. श्री सुरेश कुमार , मा0 सदस्य

(7.30 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक 8.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

11. डॉ0 जनक राज, मा0 सदस्य

8.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****